B- 3~~1~~ 4
L - 42
Polity

राज्यों की वित्तीय स्वायत्ता

- संघीय व्यवस्था में राज्यों को विधायी, प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वायत्ता उपलब्ध होती है

- 7 वीं अनुसूची के द्वारा सभी राज्यों के लिए समान शक्तियाँ प्रदान की गई हैं लेकिन व्यवहारिक रूप में सभी राज्यों की आर्थिक क्षमता समान नही है और वित्त आयोग के द्वारा केन्द्रीय करों के विभाजन में आर्थिक रूप में कमजोर राज्यों को वरीयता दी जाती है जिससे क्षेत्रीय विषमता न्यूनतम हो सके।

- वित्त आयोग के द्वारा (15th) केन्द्रीय करों से राज्यों के लिए (41 %) हिस्सा प्रदान किया गया तथा इस राशि को विभाजित करने के लिए प्रत्येक वित्त आयोग पृथक मानदण्ड का निर्माण करता है।

- वित्त आयोग के द्वारा राज्यों के लिए दिये जाने वाले अनुदान का निर्धारण भी करता है इसके बावजूद भारत में उड़ीसा, बिहार उत्तरप्रदेश की आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं हो पा रही है। जिसके निम्नलिखित कारण हैं

(i) उदारीकरण और निजीकरण के वर्तमान दौर में अभी भी भारत के हिन्दी क्षेत्र और पूर्वी राज्यों में निवेश नही हो पा रहा है।

KGS IAS KHAN GLOBAL STUDIES

(ii) राज्यों की लोक सुभावन नीतियों के कारण राज्यों के समक्ष राजकोषीय संकट बना हुआ है।

(iii) राज्यों के अपने राजस्व पर्याप्त नहीं हैं।

राज्यों के समक्ष विद्यमान इसी समस्या को देखते हुए यह कहा जाता है कि संघीय व्यवस्था में राज्यों की स्थिति नगर पालिकाओं की भाँति है।

निष्कर्ष :-

→ भारत में संघ और राज्यों के बीच सहयोग होना चाहिए तथा राज्यों के बीच भी आपसी सहयोग होने चाहिए जिससे विकास कार्यों को गति दी जा सके क्योंकि AIIMS संघ सूची का विषय है जबकि भूमि राज्य सूची का विषय है और दोनों के बीच सहयोग के बिना राज्य का विकास संभव नहीं है।

KGS IAS KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR

वित्त आयोग भारत के आर्थिक विकास का मार्गदर्शक

- वित्त आयोग का कार्य केवल केन्द्रीय करों के विभाजन तक नही है अपितु प्रत्येक वित्त आयोग के द्वारा राष्ट्रपति को भारत के सुदृढ़ वित्तीय हित में परामर्श भी दिया जाता है। जिसे लोकप्रिय रूप में term of reference भी कहा जाता है 15वें वित्त आयोग के द्वारा निम्नलिखित term of reference की वकालत की गई।

(i) केन्द्र द्वारा प्रयुक्त योजनाओं की उपयोगीता पर विचार।

(ii) राज्यों के लिए कर विभाजन हेतु वर्ष 2011 की जनगणना के आधार को स्वीकार करना,

16वें वित्त आयोग के term of reference में निम्नलिखित मुद्दों को प्राथमिकता दी गई है-

(a) कुछ राज्यों के विशेष वित्तीय आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए सुझाव देना।

(b) राज्यों के राजकोषीय प्रबंध को बेहतर बनाने हेतु सलाह देना।

(c) आपदा प्रबंध के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता के आधार का निर्माण।

(d) राज्यों की संचित निधि को सुदृढ़ करने के लिए अपनाए गये उपाय।

KGS IAS KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR

• 5वे वित्त आयोग के द्वारा कमजोर राज्यों के लिए special status stage (विशेष श्रेणी के राज्यों) का निर्माण किया गया जो गाडगिल फार्मूले पर आधारित था और हाल ही में बिहार राज्य के द्वारा विशेष राज्य के दर्जे की माँग की गई लेकिन वर्तमान मानकों के आधार पर बिहार को यह दर्जा देना संभव नही है।

- जिन राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त हुए हैं इससे उनका विकास सुनिश्चित नही हुआ।

केन्द्र के द्वारा प्रायोजित योजना :-

- 14वें वित्त आयोग के बाद से केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं में भारी कटौती की गई है। केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएँ राज्यों के स्वायत्तता के प्रतिकूल प्रतीत होती हैं जिसके उदाहरण निम्नलिखित हैं -

(i) स्वास्थ्य का विषय राज्य सूची का है जबकि आयुष्मान भारत केन्द्र सरकार द्वारा चलायी गई योजना है अतः इसके माध्यम से संघ सरकार राज्य सूची के विषय में हस्तक्षेप कर रही है।

(ii) प्रत्येक राज्यो की अपनी प्राथमिकता होती है जबकि केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं में समूचे भारत के लिए एक ही प्राथमिकता

KGS IAS KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform

स्वीकार की जाती है।

(iii) केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के द्वारा राज्यो की स्वायत्तता सीमित होती है क्योंकि कुछ योजनाएँ शत प्रतिशत केन्द्र द्वारा संचालित होती है लेकिन उसमें राज्यों को संघ के निर्देश मानने होंगे और जिन योजनाओं में आंशिक योगदान राज्य को करना होता है। उसके लिए भी इनके पास पैसा नही होता।

केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिये जा सकते हैं-

(i) सामाजिक, आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। इसलिए सामाजिक आर्थिक विकास हेतु संघ और राज्यों के बीच सहयोग आवश्यक है।

(ii) भारत में क्षेत्रीय विषमता के कारण सभी राज्यों की आर्थिक स्थिति एक समान नही है। इसलिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं से राज्यों को समान लाभ प्राप्त हो जाता है।

(iii) संघवाद का मूल आधार शक्तियों का विभाजन ही नही, संघ और राज्यों के बीच परस्पर सहयोग भी है अतः सहयोग से राज्यों की स्वायत्तता समाप्त नही होती।

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
A Trusted Learning Platform
KHAN SIR

निष्कर्ष :-

भारत में संघ एवं राज्यों के बीच विवाद की मूल जड़ राजनीतिक है क्योंकि संघ सरकार का विवाद उन्हीं राज्यों से ज्यादा होता है जिनमें विपक्षी दलों की सरकारें होती हैं।

KGS KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR IAS

संघ एवं राज्यों के बीच सहकारिता का नया दौर :-

GST

- 101 वाँ संविधान संशोधन
  - ↓ सातवीं अनुसूची में संशोधन किया गया।
- अनुच्छेद - 246(A) अनुच्छेद - 249 जोड़ी गयी
- अनुच्छेद 269(A) राष्ट्रीय महत्व के विषय पर अलग से GST
  1. CGST
  2. SGST
  3. IGST

  (iii) IGST का विभाजन परिषद की सलाह पर होगा।
- अनुच्छेद 279(A) ↓ GST परिषद

KGS IAS